सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

21 AGRAHAYAN 1945 (S)

No. 731

RANCHI, TUESDAY 12th DECEMBER, 2023

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

12th December, 2023

Notification No.- 36/2023 – State Tax

S.O. No. 47, Dated 12th December, 2023--In exercise of the powers conferred by section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of Jharkhand, on the recommendations of the Council, hereby notifies the electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52 as the class of persons who shall follow the following special procedure in respect of supply of goods made through it by the persons paying tax under section 10 of the said Act (herein after referred to as the said person), namely:—

(i) The electronic commerce operator shall not allow any inter-State supply of goods through it by the said person;

(ii) the electronic commerce operator shall collect tax at source under sub-section (1) of section 52 of the said Act in respect of supply of goods made through it by the said person and pay to the Government as per provisions of sub-section (3) of section 52 of the said Act; and

(iii) the electronic commerce operator shall furnish the details of supplies of goods made through it by the said person in the statement in **FORM GSTR-8** electronically on the common portal.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 1st day of October, 2023.

[File. No. VaKar/GST/01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vipra Bhal,
Secretary,
Commercial taxes Department.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

12 दिसम्बर, 2023

अधिसूचना सं०.36/2023- राज्य कर

एस. ओ. सं. 47, दिनांक 12 दिसम्बर, 2023--झारखण्ड सरकार, झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर, इलैक्ट्रोनिक वाणिज्य प्रचालक को अधिसूचित करती है जिससे ऐसे व्यक्तियों के वर्ग के रुप में धारा 52 के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण किया जाना अपेक्षित है जो उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कर का संदाय करने वाले व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति कहा गया है) द्वारा इसके माध्यम से की गई माल की पूर्ति के संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे, अर्थातः-

(i) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की किसी अंतर-राज्यीय पूर्ति को अनुज्ञात नहीं करेगा;

(ii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करेगा और उक्त अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार सरकार को संदाय करेगा ; और

(iii) इलैक्ट्रानिक वाणिज्य प्रचालक उक्त व्यक्ति द्वारा इसके माध्यम से की गई मालों की पूर्ति के ब्यौरे सामान्य पोर्टल पर इलैक्ट्रानिक रुप से प्ररुप **जीएसटीआर-8** में विवरण के रुप में प्रस्तुत करेगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2023 से लागू मानी जाएगी ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/01/2020]
झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

विप्रा भाल,
सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग ।

Printed & Published by the Superintendent of Jharkhand Government Press, Doranda, Ranchi.
Jharkhand Gazette (Extraordinary) 731 -- 50.